

गणेश चतुर्थी पर 2 सितंबर को बंद रहेगी मांस विक्रय एवं पशुवध गृह दुकानें

भिलाईनगर। छत्तीसगढ़ शासन के पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग से प्राप्त पत्र के आदेशानुसार नगर पालिक निगम भिलाई के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संचालित समस्त मांस विक्रय एवं पशुवध गृह की दुकानें बंद रहेगी। शासन से जारी पत्रानुसार 6 त्योहार दिवस पर शहर के सभी पशुवध गृह एवं समस्त मांस विक्रय दुकानें बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें 2 सितंबर सोमवार को गणेश चतुर्थी, 9 सितंबर सोमवार को डोल ग्यारस , 12 सितंबर गुरुवार को अनंत चतुर्दशी , 14 सितंबर शनिवार को पर्यूषण पर्व प्रारंभ , 28 सितंबर शनिवार को पितृ मोक्ष अमावश्या और 2 अक्टूबर बुधवार को गांधी जयंती के अवसर पर मांस बिक्री व पशुवध गृह बंद रहेगी।

जनसंपर्क अधिकारी